

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमती सेहन सहवैज व रिडी अनुत्तार स्थित कच्छेवन्त के धाराम-102  
रामनारायण १५ दर्ज है। कच्छेवन्त से पूर्व की जमावची (खेवर खरोडी)  
के धाराय नं. 22 व 23 के गनेशपुत्राहू बहू रामनारायण व भू. लिम्ब  
सोमनाथ सोम गडुर के धाराय १५ दर्ज है। स्थित कच्छेवन्त कच्छेवन्त  
सहवन से गनेशपुत्राहू बहू रामनारायण के १५ के स्थान पर वे श्री रामपुत्र  
रामनारायण १५ दर्ज हो गया है।

अतः वे श्री रामपुत्राहू रामनारायण १५ के स्थान पर  
गनेशपुत्राहू पुत्र रामनारायण के १५ के स्थान पर वे श्री रामपुत्राहू  
उचित आदेशार्थ सद्यः पत्र संख्या 22/04/19

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं I.R के मु. उस्ताबित श्रुति  
वे श्री, रामपुत्राहू रामनारायण के स्थान पर गनेशपुत्राहू  
पुत्र रामनारायण के १५ किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू. अ. नि.)  
धौलपुर (राज.)

नायब तहसीलदार  
उप तहसील, मनिवा जिला धौलपुर

आदेश

प्रकरण संख्या - 162

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार

दिनांक - 22/04/19

L.R Act की धारा 136 के अन्तर्गत पुनरावलोकन स्वीकार है।

19.4.19